सच बोलने वालों का हश्र

विजय विद्रोही

सूचना अधिकार कानून को अगर सरकारी सक्रियता और सख्ती के साथ न जोड़ा गया तो इसके लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं की जान पर संकट बना रहेगा।

...र बद्र का शेर है, 'सच कहने को जी तो करता है, क्या करें हौसला नहीं होता'। और जो हौसला करते हैं सच बोलने का, जो लड़ते हैं झूठ के खिलाफ उन्हें एक दिन मार दिया जाता है। पुणे के सतीश शेट्टी की तरह, मुंबई की नैना कठपालिया की तरह, मंजुनाथ की तरह, सत्येन्द्र दुबे की तरह। ये सभी लोग आंकड़े जुटा रहे थे ताकि झूठ को बेनकाब किया जा सके। इस कड़ी में अब अहमदाबाद के अमित जेठवा का नाम भी जुड़ गया है। वे इस साल सच की लड़ाई के मैदान में कत्ल होने वाले सूचना के अधिकार के छठे सिपाही हैं। गुजरात के गिर के जंगलों में खान माफिया के खिलाफ जेठवा लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने पुलिस की मदद से गिर के जंगलों में गैर कानूनी काम करने वालों को पकड़वाया भी था। लेकिन अहमदाबाद में कोर्ट के बाहर रात को उनकी हत्या हुई तब उनकी मदद के लिए कोई पुलिस वाला नहीं था। हत्या के बाद भी पुलिस को इंतजार है कि कोई रिपोर्ट लिखवाए ताकि वो एफआईआर दर्ज कर सके। गिर के शेरों के लिए संघर्ष कर कर रहे अमित जेठवा एक ऐसे शेर थे, जिन्हें कायरों की तरह मार डाला गया। हत्या के लिए भाजपा सांसद दीनू भाई सोलंकी को जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन जांच तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद ही करेगी।

अमित जेठवा को रात को मारा गया तो पुणे में भूमि माफिया के खिलाफ सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करने वाले सतीश शेट्टी को अलस्सुबह मार दिया गया था। बात इसी साल जनवरी महीने की है। शेट्टी की हत्या के विरोध में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे। पुलिस पर दबाव पड़ा तो चार लोग आनन-फानन में गिरफ्तार भी किए गये, लेकिन इसके बाद जांच में ढिलाई की जाने लगी। मुंबई हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से पहल करते हुए केस को सीबीआई के हवाले कर दिया। चार महीनों से तफ्तीश जारी है। आजादी के बाद की तीसरी क्रांति है सूचना का अधिकार- श्वेत और हरित क्रांति के बाद। माना जा रहा था कि सूचना का अधिकार मिलने के बाद भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। मनमोहन सिंह सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में वाम दलों और सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के दबाव में इसे लागू तो कर दिया लेकिन उसे इतने तीखे दांत नहीं दिए जितने कि भारत जैसे देश में दिए जाने चाहिए थे।

मजदूर किसान शक्ति संगठन के बैनर तले 1990 के आसपास राजस्थान के राजसमंद इलाके में सूचना के अधिकार को लेकर जन संघर्ष की शुरुआत हुई थी। आईएएस की नौकरी छोड़ कर मैगासेसे अवार्ड विजेता अरुणा राय ने जनसुनवाइयों का सिलसिला शुरू किया था। इसमें गांव में कराए गये विकास कामों के मस्टररोल जनता के सामने पढ़े जाते थे। ऐसी पहली बड़ी जन सुनवाई 1994 में भीलवाड़ा, अजमेर और राजसमंद जिलों को एक साथ छूते कोटकिराणा में हुई थी। दिन भर चली थी जन सुनवाई में एक-एक करके गांव में विकास के कामों को सामने रखा गया। गांव के सरपंच, पानी बिजली और सार्वजनिक निर्माण विभाग के पदाधिकारी मंच पर मौजूद थे। गांव के स्कू ल की दीवार बनाने में इतने बोरी सीमेंट, इतने बोरी रेत और दूसरे सामान का ब्योरा रखा गया। गांववालों ने वहीं बोरियों की संख्या पर सवाल उठा दिए। फिर मजदूरी का मस्टररोल पढ़ा गया। शंकर ने दस दिन काम किया और मजदूरी मिली इतनी। मंच से पढ़ा गया। शंकर ने तुरंत प्रतिवाद किया। कहा कि उन दिनों तो वो गुजरात मजदूरी करने गया हुआ था। गांव में था ही नहीं। उसके साथ घनश्याम और अमरा राम भी थे जिनके नाम भी मस्टररोल में शामिल थे।

इस तरह एक एक करके भ्रष्टाचार के मामले सामने आते गये। पता चला कि कागजों में ही गांव के सामुदायिक भवन को दिखा दिया गया जबकि उस पैसों से सरपंच के घर के दो कमरे बनवाए गये। शाम होते-होते स्थानीय ठेकेदार विरोध दर्ज करने आ गये या यूं कहा जाए कि जबरन सरकारी अफसरों की तरफ से लाए गये। हल्ला मचाया गया। जनसुनवाई को उखाड़ने की कोशिश की गयी ताकि और ज्यादा पोल न खुलें। लेकिन उस वक्त भैरोंसिंह शेखावत की सरकार के मुख्य सचिव मीठा लाल मेहता हुआ करते थे जिन्होंने जन-सुनवाई को गंभीरता से लिया। इन योजनाओं के हिसाब किताब को करीब से जन-सुनवाई की नजर से ही देखा जा सकता था। खैर, जनसुनवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। राजीव गांधी की बात सच सामने होने लगी कि गांवों के विकास के लिए दिल्ली से चले एक रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही गांव तक पहुंच पाते हैं। यहां बाकी के 85 पैसों का हिसाब हो रहा था, उस जनता के सामने जिसके विकास के लिए ये पैसा भेजा गया था।

लाखों करोड़ों रुपयों के घपले सामने आए तो ठेकेदार और पंच-सरपंच जनसुनवाइयों का विरोध करने लगे। अरुणा राय और उनके साथियों को सरकार या जिला प्रशासन से कोई सुरक्षा नहीं मिली। सोशल आडिट की मांग जोर पकड़ने लगी। पहले ब्यावर, फिर जयपुर और उसके बाद दिल्ली के बोट क्लब पर धरना। आखिर कोशिशें रंग लाईं और सूचना का अधिकार कानून लागू हो गया, लेकिन आधा अधूरा। सूचनाएं देने में आनाकानी की जाती है, सूचनाएं आधी-अधूरी दी जाती हैं, सूचना छुपा ली जाती हैं।

अरुणा राय भी दुखी हैं। वो सोनिया गांधी की उस पहली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य थीं जिसने इस अधिकार को लागू करवाने में बड़ी भूमिका अदा की थी। इस कानून को और ज्यादा पैना बनाने के लिए और ज्यादा पारदर्शिता की जरुरत है। जो अफसर सूचना नहीं देते या समय पर सूचना नहीं देते, उनकी जवाबदेही तय किये जाने की जरुरत है।

देर से या फिर आधी-अधूरी सूचनाएं देने वाले पर सिर्फ आर्थिक दंड लगाने से काम नहीं चलेगा। सजा देने का प्रावधान जरूरी है। इस कानून के दायरे में और भी ज्यादा सरकारी कार्यालयों को लाए जाने की आवश्यकता है।,लेकिन जितना भी अधिकार मिला है उससे सरकारें डरी हैं, अफसरशाही डरी हुई है, अफसर फाइल पर नोटिंग करने से पहले दो बार पढ़ते हैं। यही वजह है कि सतीश शेट्टी और अमित जेठवा खामोश कर दिए जाते हैं, ताकि और दूसरे सूचना मांगने से डरे। बहुत जरुरी है कि जनता और मीडिया सतीश और अमित के हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए दबाव डाले। ये आवाजें नक्कारखाने में तूती की आवाज नहीं है। एक हुंकार है।

इलस्ट्रेशनः सुब्रतो

लेखक स्टार न्यूज में कार्यकारी संपादक हैं